

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक-

विषय - विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत Project Management Unit (PMU) के गठन की स्वीकृति तथा तीन वित्तीय वर्षों तक के लिए अनुमानित व्यय कुल रु. 5,34,08,000=00 (पांच करोड़ चौतीस लाख आठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवशेष राशि रु. 88,08,000.00 (अठ्ठासी लाख आठ हजार रुपये) मात्र विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-558 दिनांक-25.02.2022 के द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत Project Management Unit (PMU) के गठन की स्वीकृति तथा तीन वर्षों तक के लिए अनुमानित व्यय कुल रु. 5,34,08,000=00 (पांच करोड़ चौतीस लाख आठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु. 29,00,000.00 (उनतीस लाख रुपये) मात्र, वित्तीय वर्ष, 2023-24 अन्तर्गत रु. 2,00,00,000.00 (दो करोड़ रुपये) मात्र एवं वित्तीय वर्ष, 2023-24 अन्तर्गत रु. 2,17,00,000.00 (दो करोड़ सत्रह लाख रुपये) मात्र राशि अर्थात् कुल रु. 4,46,00,000.00 (चार करोड़ छियालिस लाख रुपये) मात्र की राशि विभाग द्वारा विमुक्त की गई है।

3. राज्य सरकार ने महाप्रबंधक, बेल्ट्रॉन, पटना के पत्रांक-5209, दिनांक-15.10.2024 के आलोक में Project Management Unit (PMU) के गठन की स्वीकृति तथा तीन वित्तीय वर्षों तक के लिए अनुमानित व्यय कुल रु. 5,34,08,000=00 (पांच करोड़ चौतीस लाख आठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 88,08,000.00 (अठ्ठासी लाख आठ हजार रुपये) विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

4. उक्त विमुक्त राशि, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मांग संख्या-43 अन्तर्गत राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-105-बहुशिल्प (पोलिटैकनिक) विद्यालय, उपशीर्ष-0107-राजकीय पोलिटैकनिक संस्थाओं में सेन्टर ऑफ़ ऐक्सेलेंस-सात निश्चय-2" के अधीन 28 03 कंसलटेंसी विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसका विपत्र कोड 43-2203001050107 है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (त०)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होंगे।

2
6. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना की जायेगी तथा उसे CFMS प्रणाली से राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के नाम से पी.एल. खाता में जमा किया जायेगा जिसका विवरण निम्नवत है:-

a) Deposit Account Number- PBBPLA009

b) Receipt HoA- 84480012000150001

c) Payment HoA-84480012000150002

7. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी विभाग के लिए संसूचित योजना उद्ब्यय के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगी।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- वि. प्रा. (I) मु०स्था०-08/2021 के पृ०-73/टि० पर प्राप्त है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि (2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अहमद महमुद)
सरकार के अपर सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक - वि. प्रा. (I) मु०स्था०-08/2021

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक - वि. प्रा. (I) मु०स्था०-08/2021

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

/पटना, दिनांक-

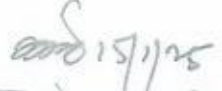
ज्ञापांक - वि. प्रा. (I) मु०स्था०-08/2021

प्रतिलिपि - प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (बेल्ट्रोन), पटना, बेल्ट्रोन भवन, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- वि. प्रा. (I) मु०स्था०-08/2021 ³ 252 /पटना, दिनांक- 16.01.25
प्रतिलिपि - माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त
सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/लेखा शाखा
(दो प्रतियों में)/आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान,
प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव